भारत संघ

बनाम

राम कंवर और अन्य

(पी. बी. गजेन्द्रगडकर, के. सुब्बा राव और एम. हिदायतुल्लाह, न्यायाधीश)

लेटर्स पेटेंट अपील- दाखिल करने की सीमा अवधि- किसी भवन की अधिग्रहण और अधिग्रहण मोचन- भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1908 (9/1908), धारा 29(2) अनुच्छेद 151- पंजाब उच्च न्यायालय नियमावली, नियम 4- भारत के रक्षा नियमावली का नियम 75 ए- स्थावर संपत्ति अधिग्रहण और अर्जन अधिनियम, 1952 (30/1952), धाराएँ 3, 24 (2)— अधिग्रहित भूमि (शक्तियों की निरंतरता) अधिनियम, 1947 (XVII/1947)

प्रतिवादियों की एक इमारत का अधिग्रहण भारत सरकार द्वारा भारत के रक्षा नियमों के नियम 75-ए (1) के तहत प्रारंभतः इंडियन नेशनल एयरवेज के किसी अधिकारी द्वारा और बाद में केंद्र सरकार के अधिकारियों द्वारा कब्जे के उद्देश्य से किया गया था। उक्त अधिकारियों से इमारत खाली कराने के बाद इसे त्रिवेणी कला संगम के कब्जे में दे दिया गया, जो एक निजी नृत्य और संगीत विद्यालय था। केंद्र सरकार से इमारत के अधिग्रहण मोचन के लिए प्रतिवादी की अपील विफल होने पर, उसने उच्च न्यायालय में उस उद्देश्य के लिए परमादेश के लिए एक

याचिका दायर की, जिसे स्वीकार कर लिया गया। लेटर्स पेटेंट के तहत अपीलकर्ता की अपील उच्च न्यायालय के नियमों के तहत 30 दिनों के भीतर दायर की गई थी, लेकिन यह एकल न्यायाधीश के फैसले से सीमा अधिनियम द्वारा निर्धारित 20 दिनों से अधिक समय के बाद दाखिल की गई थी, इसे समयाविध बीत जाने और गुण-दोषों के आधार पर खारिज कर दिया गया। विशेष अनुमित द्वारा यह अपील दायर की गई है।

अभिनिर्धारित किया गया कि उच्च न्यायालय की नियमावली का नियम 4, जो एकल न्यायाधीश के फैसले की तारीख से 30 दिनों के भीतर लेटर्स पेटेंट अपील दायर करने की अनुमति देता है, परिसीमा अधिनियम की धारा 29(2) के अर्थ में एक विशेष कानून है और ऐसी अपीलें परिसीमा अधिनियम की पहली अनुसूची के अनुच्छेद 151 द्वारा निर्धारित 30 दिनों की उक्त अविध के भीतर दायर की जा सकती हैं, न

पंजाब को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बनाम आधिकारिक परिसमापक, ए. आई. आर. 1941 लाह, 57, अनुमत।

आगे, यह अभिनिर्धारित किया गया कि स्थावर संपित अधिग्रहण और अर्जन अधिनियम, 1952 की धारा 24(2) के तहत, जिसने अधिग्रहीत भूमि (शक्तियों की निरंतरता) अधिनियम, 1947 का लोप कर दिया, इस आशय की एक परिकल्पना रची गई कि पिछले अधिनियम के तहत

अधिग्रहित संपत्तियों को इस अधिनियम की धारा 3 के तहत अधिग्रहित संपत्ति माना जाना चाहिए। इसका प्रभाव यह था कि भारत के रक्षा नियमों के नियम 75-ए के तहत किया गया अधिग्रहण 1952 अधिनियम की धारा 3 के तहत अधिग्रहण था, अर्थात् नियम 75-ए में उल्लिखित उद्देश्य अधिनियम के नियम 3 के अर्थ में संघ का सार्वजनिक उद्देश्य माना जाएगा। वर्तमान मामले में चूंकि प्रश्नगत इमारत का उपयोग उस उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया जा रहा था, जिसके लिए इसे प्रारम्भ में नियम 75-ए के तहत अधिग्रहित किया गया था, इसलिए यह अधिग्रहण हटाए जाने योग्य था।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 322/1960

एल. पी. ए. संख्या 4/1955 में पंजाब उच्च न्यायालय (सर्किट बेंच) दिल्ली के निर्णय और आदेश दिनांकित 21 नवंबर, 1957 से विशेष अनुमति द्वारा अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी की ओर से: एम. सी. सीतलवाड़, भारत के महान्यायवादी, बी. सेन, आर. एच. ढेबर और टी. एम. सेन

प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के लिए ए. वी. विश्वनाथ शास्त्री और सरदार बहादुर प्रतिवादी संख्या 7 के लिए एस. एन. एंडले, रामेश्वर नाथ और पी. एल. वोहरा

29 अगस्त 1961 न्यायालय का निर्णय न्यायाधीश सुब्बा राव द्वारा दिया गया- विशेष अनुमित द्वारा यह अपील दिल्ली में पंजाब उच्च न्यायालय की सिर्कट बेंच की एक खंडपीठ के फैसले के खिलाफ दायर की गई है, जिसमे उस उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा भारत संघ के विरुद्ध परमादेश की रिट जारी करने की पुष्टि करते हुए, उसे प्रतिवादियों को उक्त सरकार द्वारा अधिग्रहित फ्लैट का कब्ज़ा वापस उनको देने का निर्देश दिया गया है।

बाबू राम, अग्रवाल बिल्डिंग, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली स्थित फ्लैट नंबर 5, के मालिक थे; प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 उनके बेटे और पत्नी हैं। 14 अप्रैल, 1943 के एक आदेश द्वारा, भारत सरकार ने 15 अप्रैल, 1943 से 14 अप्रैल, 1944 तक एक वर्ष की अविध के लिए भारत के रक्षा नियमों के नियम 75-ए (1) के तहत उक्त फ्लैट का अधिग्रहण किया। उक्त फ्लैट इंडियन नेशनल एयरवेज के हार्डी नामक व्यक्ति के कब्जे में दिया गया था। अधिग्रहण की अविध समय-समय पर बढ़ाई गई, और अंततः 2 अप्रैल, 1946 के एक आदेश द्वारा, 15 अप्रैल, 1946 से केंद्र सरकार के अगले आदेश तक फ्लैट को अधिग्रहित कर लिया गया। जब श्रीमान हार्डी ने फ्लैट खाली कर दिया, तब इसे अन्य अधिकारियों को

आवंटित कर दिया गया। बाबू राम ने समय-समय पर सरकार से अन्रोध किया कि उसके व्यक्तिगत उपयोग के लिए उक्त फ्लैट का अधिग्रहण मोचन किया जाए। उन्होंने बताया कि वे हृदय रोग से पीड़ित थे और उनका स्वस्थ्य सही नहीं रहता था, उनके दो बेटों की शादी हो गई थी, और ऐसी परिस्थितियों में उनके लिए एक संकीर्ण गली में अपने छोटे से घर में रहना असंभव हो गया था; लेकिन भारत सरकार ने उनके निवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया कि इंडियन नेशनल एयरवेज के अधिकारियों द्वारा फ्लैट खाली करने पर केंद्र सरकार के अधिकारियों को आवंटन के लिए इसकी आवश्यकता होगी। 24 अक्टूबर, 1951 को बाबू राम की मृत्यु हो गई। ऐसा प्रतीत होता है कि 1947 में चार या पांच महीने तक फ्लैट खाली रहा और उसके बाद पश्चिम पाकिस्तान के शरणार्थियों ने उस पर कब्जा कर लिया था। बाद में इसे वर्तमान प्रतिवादी संख्या 7, त्रिवेणी कला संगम को दिया गया। 4 नवंबर, 1952 को प्रतिवादी संख्या 1 ने फिर से सरकार से इस आधार पर फ्लैट पर से अधिग्रहण हटाने का अन्रोध किया कि उक्त फ्लैट को केंद्र सरकार के अधिकारियों द्वारा उपयोग में नहीं लिया जा रहा था, बल्कि यह त्रिवेणी कला संगम के कब्जे में था, जो एक निजी नृत्य और संगीत विद्यालय था। चूंकि उस अन्रोध का कोई जवाब नहीं दिया गया, इसलिए उक्त प्रतिवादी ने 26 जून, 1953 को एक स्मरण पत्र भेजा, और उस पर उसे इस आशय का उत्तर मिला कि "मामले पर ध्यान दिया जा रहा है और

उचित समय पर आगे पत्र-व्यवहार किया जाएगा।" 16 सितंबर, 1953 को, सरकार ने पहले प्रतिवादी को सूचित किया कि वह उक्त फ्लैट के संबंध में सरकार के पक्ष में एक पट्टा विलेख निष्पादित कर सकता है। चूंकि अपीलकर्ताओं ने प्रतिवादियों को उक्त फ्लैट का कब्जा नहीं सौंपा, इसलिए उनके पास पंजाब उच्च न्यायालय में परमादेश की रिट के लिए याचिका दायर करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था। याचिका पर न्यायाधीश फाल्शॉ द्वारा स्नवाई की गई, और विद्वान न्यायाधीश ने 19 अक्टूबर, 1954 को परमादेश की रिट जारी की, जिसमें अपीलकर्ताओं को निर्देश दिया गया कि वे प्रतिवादियों को फ्लैट का कब्ज़ा सौंपे। उक्त आदेश के विरुद्ध, 26 नवंबर, 1954 को, अपीलार्थियों ने पंजाब उच्च न्यायालय के सर्किट बेंच दिल्ली में एक लेटर्स पेटेंट अपील पेश की। अपील आवश्यक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने में लगने वाले समय को छोड़कर, उक्त आदेश की तारीख से 30 दिनों के भीतर, लेकिन उसके बाद 20 दिनों से अधिक समय के भीतर दायर की गई थी। अपील की स्नवाई उक्त उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश मेहर सिंह की खंडपीठ ने की। विद्वान न्यायाधीशों ने अभिनिर्धारित किया कि अपील विलंब से दायर की गई थी और विलंब को माफ करने के लिए पर्याप्त कारण नहीं था। उन्होंने मामले के गुण दोषों पर भी विचार किया और न्यायमूर्ति फाल्शॉ से सहमत ह्ए कि रिट जारी करने के लिए एक मामला

बनाया गया था। परिणामस्वरूप अपील खारिज कर दी गई। इसलिए वर्तमान अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अटॉर्नी-जनरल ने तर्क दिया कि लेटर्स पेटेंट अपील, जो न्यायाधीश फाल्शॉ के फैसले की तारीख से 30 दिनों के भीतर दायर की गई थी, इसलिए समय के भीतर थी और किसी भी दृष्टिकोण से, इस सवाल पर कानून की असपष्ट स्थिति के संबंध में कि क्या परिसीमा अधिनियम या उच्च न्यायालय दवारा बनाए गए नियम के लिए निर्धारित अविध उस अपील को शासित करेगी, देरी को माफ करने के लिए पर्याप्त कारण थे। मामले के गुण दोषों के आधार पर उनका तर्क है कि भारत के रक्षा नियमों (इसके बाद इसे नियम कहा जाएगा) के नियम 75-ए के तहत किए गए अधिग्रहण को अधिग्रहीत भूमि (शक्तियों की निरंतरता) अधिनियम, 1947 (अधिनियम संख्या 17/1947) की धारा 3 के तहत जारी रखा गया था (इसके बाद इसे 1947 अधिनियम कहा जाएगा), जिसके तहत उपयुक्त सरकार को अधिग्रहित भूमि का इस तरह से उपयोग करने या उससे निपटने की शक्ति दी गई थी, जैसा कि उसे समीचीन लगे, और उक्त शक्ति का प्रयोग करते हुए उक्त सरकार ने उस इमारत का कब्जा त्रिवेणी कला संगम को सौंप दिया, और स्थावर संपत्ति अधिग्रहण और अर्जन अधिनियम, 1952 (इसके बाद इसे 1952 अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 24(2) के तहत, उक्त अधिग्रहण को

उक्त अधिनियम की धारा 3 के तहत अधिगृहीत संपित माना जाएगा और उक्त धारा के तहत उक्त उद्देश्य को संघ का उद्देश्य होने के नाते एक सार्वजनिक उद्देश्य माना जाना चाहिए और, क्योंकि उस उद्देश्य का अस्तित्व अभी समाप्त नहीं हुआ था, इसलिए प्रतिवादियों को उक्त फ्लैट के अधिग्रहण मोचन की मांग करने का अधिकार नहीं है।

प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता श्री ए. वी. विश्वनाथ शास्त्री, परिसीमा के प्रश्न के साथ-साथ प्रकरण के गुण दोषों के आधार पर भी उच्च न्यायालय के आदेश को बनाए रखना चाहते हैं।

इस अपील में तीन प्रश्नों पर विचार किया जाना है, अर्थात् (1) पंजाब उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ उसी उच्च न्यायालय की खंडपीठ में अपील के लिए निर्धारित सीमा अविध क्या है? (2) यदि अपील समयाविध बीत जाने के बाद की गई थी, तो क्या अपील करने में विलंब को क्षमा करने का पर्याप्त कारण था? (3) क्या प्रतिवादीगण अब कानूनी तौर पर अधिनियम 1952 के तहत केंद्र सरकार से उक्त परिसर को वापस लेने के लिए कहने के हकदार हैं?

पहले तर्क का मूल्यांकन करने के लिए परिसीमा अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों, लेटर्स पेटेंट के खंड और उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए नियमों को पढ़ना आवश्यक है।

भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1908

"धारा 29 जहां कोई विशेष या स्थानीय विधि किसी वाद, अपील या आवेदन के लिए कोई ऐसा परिसीमा काल विहित करती है जो अनुसूची द्वारा विहित परिसीमा काल से भिन्न है वहां धारा 3 के उपबन्ध ऐसे लागू होंगे मानो वह परिसीमा काल अनुसूची द्वारा विहित परिसीमा काल हों,....."

पहली अनुसूची

अपील का विवरण	परिसीमा की अवधि	समयावधि
		कब प्रारम्भ
		होगी
151. अपने मूल क्षेत्राधिकार के प्रयोग में	20 दिन	डिक्री या
फोर्ट विलियम, मद्रास और बॉम्बे के किसी		आदेश की
भी उच्च न्यायालय या पंजाब के उच्च		दिनांक
न्यायालय के डिक्री या आदेश से।		

लाहौर उच्च न्यायालय के लिए लेटर्स पेटेंट

खंड 27, आगे, हम यह भी निर्धारित करते हैं कि लाहौर उच्च न्यायालय के लिए समय-समय पर न्यायालय के अभ्यास को विनियमित करने के लिए नियम और आदेश बनाना और जहां तक संभव हो सके, सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों को अपनाने के उद्देश्य से, परिषद में गवर्नर जनरल द्वारा पारित किया गया अधिनियम संख्या V/1908 होने के नाते, और किसी भी कानून के प्रावधान जो भारत के लिए सक्षम विधायी प्राधिकारी द्वारा क्रमशः वसीयत, निर्वसीयत और वैवाहिक क्षेत्राधिकार में सभी कार्यवाहियों के लिए बनाए गए हैं या बनाए जा सकते हैं, उनमें संशोधन या परिवर्तन करते हैं, वैध होगा।

खंड 37. और हम आगे आदेश देते हैं और घोषणा करते हैं कि इन लेटर्स पेटेंट के सभी प्रावधान भारत सरकार अधिनियम, 1915 की धारा 71 के तहत विधान परिषद में गवर्नर जनरल की विधायी शक्तियों और परिषद में गवर्नर जनरल की विधायी शक्तियों और उस अधिनियम की धारा 72 के तहत आपातकाल के मामलों में गवर्नर जनरल की भी विधायी शक्तियों के अधीन हैं, और इसमें सभी प्रकार से संशोधन और परिवर्तन किए जा सकते हैं।

पंजाब उच्च न्यायालय के नियम और आदेश

नियम 4: यदि अपील पर किए गए निर्णय की तारीख से 30 दिनों की समाप्ति के बाद अपील प्रस्तुत की जाती है, तो लेटर्स पेटेंट के खंड 10 के तहत प्रस्तुत अपील के किसी भी ज्ञापन पर विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि स्वीकार करने वाली पीठ अपने विवेक से, बताए गए कारणों के लिए, अपील को प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त समय न दे दे।

उपरोक्त प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि जहां परिसीमा अधिनियम के अन्च्छेद 151 के तहत अपने मूल क्षेत्राधिकार के प्रयोग में पंजाब उच्च न्यायालय के किसी आदेश के द्वारा अपील करने के लिए 20 दिनों की अवधि निर्धारित है, उच्च न्यायालय के नियम 4 के तहत लेटर्स पेटेंट के खंड 10 के तहत अपील दाखिल करने के लिए 30 दिनों की सीमा अवधि प्रदान की गई है। यदि अन्च्छेद 151 लागू होता है, तो वर्तमान मामले में लेटर्स पेटेंट अपील स्पष्ट रूप से वर्जित थी। लेकिन यदि नियम 4 लागू किया जा सकता है, तो अपील समय के भीतर मानी जा सकती है। प्रावधानों के संयुक्त प्रभाव को इस प्रकार बताया जा सकता है: लेटर्स पेटेंट के खंड 27 के तहत, लाहौर उच्च न्यायालय के पास अपने मूल क्षेत्राधिकार के प्रयोग में उस न्यायालय दवारा उस उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ को दिए गए अपील के संबंध में सीमा की अवधि निर्धारित करने वाला नियम बनाने की शक्ति है। इसके खंड 37 के तहत, लेटर्स पेटेंट के प्रावधान विधान परिषद में गवर्नर-जनरल की विधायी शक्तियों के अधीन हैं और इसलिए, लेटर्स पेटेंट के तहत प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में बनाया गया कोई भी नियम आवश्यक रूप से परिसीमा अधिनियम के प्रावधानों के अधीन होना चाहिए जो विधान परिषद दवारा बनाया गया एक कानून है। परिसीमा अधिनियम का अनुच्छेद 151 अपने मूल क्षेत्राधिकार के प्रयोग में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए 20 दिनों की परिसीमा अवधि निर्धारित करता है, और यदि उस धारा पर कोई

अन्य सीमा नहीं है, तो उच्च न्यायालय नियमावली के नियम 4 को उक्त अनुच्छेद के स्थान पर लागू करना चाहिए। लेकिन परिसीमा अधिनियम की धारा 29(2) उस धारा के दायरे को सीमित करती है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि जहां एक विशेष या स्थानीय कानून अपील के लिए उक्त अन्सूची में निर्धारित अविध निर्धारित करता है, तो धारा 3 के प्रावधान इस तरह लागू होंगे जैसे कि उस अनुसूची में उसके लिए अवधि निर्धारित की गई थी, अर्थात्, यदि कोई विशेष या स्थानीय कानून है जो सीमा की अवधि निर्धारित करता है, तो इसे उस नियम के अंतर्गत आने वाली अपील के संबंध में परिसीमा अधिनियम की पहली अन्सूची द्वारा निर्धारित सीमा की अवधि माना जाएगा। अन्य शब्दों में, यदि नियम 4 एक विशेष कान्न है, तो परिसीमा अधिनियम को ही उक्त नियम के अंतर्गत आने वाले मामलों के वर्ग के लिए उस नियम के तहत उल्लिखित सीमा अवधि का निर्धारणकर्ता समझा जाना चाहिए, और उस हद तक पहली अनुसूची के अन्च्छेद 151 के स्थान पर परिसीमा अधिनियम लागू होगा। अन्च्छेद 151 को विशेष कानून के अधीन पढ़ा जाना चाहिए। इस दृष्टिकोण में, यह तर्क कि लेटर्स पेटेंट का खंड 37 उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए नियम को परिसीमा अधिनियम के अधीन बनाता है और इसलिए, अनुच्छेद 151 नियम संख्या 1 से अधिक महत्वपूर्ण होगा, इसमें कोई बल नहीं है। संक्षेप में कही गई कानूनी स्थिति यह है: लेटर्स पेटेंट के खंड 27 के तहत, उच्च न्यायालय के पास अपने मूल क्षेत्राधिकार के प्रयोग में एकल न्यायाधीश

द्वारा दिये गए आदेश के खिलाफ लेटर्स पेटेंट अपील के लिए सीमा की अविध निर्धारित करने वाला नियम बनाने की शक्ति है, और उसके खंड 37 के कारण, उक्त नियम परिसीमा अधिनियम के प्रावधानों के अधीन है; लेकिन परिसीमा अधिनियम स्वयं उक्त नियम को लागू होने से रोकता है। इस परिणाम के साथ कि नियम 4 ऐसी अपील पर लागू होता है, जबिक परिसीमा अधिनियम का अनुच्छेद 151 नियम संख्या 4 के अंतर्गत नहीं आने वाली अपीलों या अन्य उच्च न्यायालयों द्वारा उनके मूल क्षेत्राधिकार के प्रयोग में दिए गए आदेशों की अपीलों को शासित करेगा, यदि नियम 4 के समान कोई नियम उक्त उच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों द्वारा जाता है।

निर्णय लिया जाने वाला एकमात्र प्रश्न यह है कि क्या नियम संख्या 4 परिसीमा अधिनियम की धारा 29(2) के अर्थ में एक विशेष कानून है। नियम 4 उच्च न्यायालय द्वारा लेटर्स पेटेंट के खंड 27 के तहत उक्त उच्च न्यायालय को प्रदत्त विधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए बनाया गया है। चूँकि उक्त नियम इसके अंतर्गत आने वाले विशेष मामलों के संबंध में बनाया गया एक कानून है, यह निश्चित रूप से परिसीमा अधिनियम की धारा 29(2) के अर्थ में एक विशेष कानून होगा।

पंजाब सहकारी बैंक लिमिटेड बनाम आधिकारिक परिसमापक, पंजाब कॉटन प्रेस कंपनी, लिमिटेड (परिसमापन में) (ए. आई.आर. 1941 लाहोर

57 (एफ.बी.) मामले में पंजाब उच्च न्यायालय ने इस दृष्टिकोण को स्वीकार किया। न्यायालय की पूर्ण पीठ ने यह अभिनिर्धारित किया कि लेटर्स पेटेंट के खंड 27 के तहत महामहिम द्वारा उसे सौंपे गए अधिकार के तहत उच्च न्यायालय द्वारा बनाया गया वैधानिक नियम, जो बदले में, संसद के अधिनियम द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों के तहत कार्य कर रहा था, एक "विशेष कान्न" है। हम इस दृष्टिकोण से सहमत हैं। बार में उद्धृत अन्य निर्णयों से निपटना आवश्यक नहीं है, क्योंकि उनमें से किसी में भी परिसीमा अधिनियम की धारा 29 के दायरे पर विचार नहीं किया गया था। दरअसल, श्री ए.वी. विश्वनाथ शास्त्री ने यह तर्क नहीं दिया है कि परिसीमा अधिनियम की धारा 29 के अर्थ में नियम 4 कोई विशेष कानून नहीं है। यदि ऐसा है, तो यह इस प्रकार है कि नियम 4 के तहत न्यायाधीश फाल्शॉ के आदेश की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपील दायर की जा सकती थी, और अपील तेईसवें दिन दायर की गई है, यह समय के भीतर ही दायर की गई है।

इस दृष्टि से, दूसरा प्रश्न इस अपील में विचार योग्य नहीं है।

गुण-दोषों के आधार पर, यह प्रश्न भारत का रक्षा नियम, 1947 अधिनियम और 1952 अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के गठन पर केंद्रित है। आसान संदर्भ और तुलना के लिए, प्रासंगिक प्रावधानों को एक ही स्थान पर पढ़ा जा सकता है।

भारत के रक्षा नियम

नियम 75-ए (1) यदि केंद्र सरकार या प्रांतीय सरकार की राय में ब्रिटिश भारत की रक्षा, सार्वजनिक सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव या युद्ध के कुशल अभियोजन, या समुदाय के जीवन के लिए आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं को बनाए रखने के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वह सरकार लिखित आदेश द्वारा किसी भी संपत्ति, चल या अचल का अधिग्रहण कर सकती है, और ऐसे अतिरिक्त आदेश भी दे सकती है जो उस सरकार को अधिग्रहण के संबंध में आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों।

XXX XXX XXX

(2) जहां केंद्र सरकार या प्रांतीय सरकार ने उप-नियम (1) के तहत किसी संपत्ति का अधिग्रहण किया है, तो सरकार उस संपत्ति का उपयोग या व्यवहार उस तरीके से कर सकती है जो उसे समीचीन लगे, और उसके मालिक से इसे हासिल कर सकती है, या जहां मालिक का आसानी से पता नहीं चल पाता है या स्वामित्व विवाद में है, तो आधिकारिक राजपत्र में एक नोटिस प्रकाशित करके यह बता सकती है कि केंद्रीय या प्रांतीय सरकार, जैसा भी मामला हो, ने इस नियम के अनुसरण में इसे अर्जित करने का फैसला किया है।

स्थावर संपत्ति का अधिग्रहण और अर्जन अधिनियम, 1952(XXX/1952)

- धारा 24 (1) अधिगृहीत भूमि (शक्तियों की निरंतरता) अधिनियम, 1947, (XVII/1947), दिल्ली परिसर (अधिग्रहण और बेदखली) अधिनियम 1947 (XLIX/1947), और स्थावर संपत्ति का अधिग्रहण और अर्जन अध्यादेश, 1952(III/1952) को एतदद्वारा निरस्त किया जाता है।
- (2) संदेहों को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि कोई भी संपत्ति जो इस तरह के निरसन से ठीक पहले उक्त अधिनियमों या उक्त अध्यादेश में से किसी एक के प्रावधान के तहत अधिग्रहण के अधीन थी, इस अधिनियम के प्रारंभ होने पर, इस अधिनियम की धारा 3 के तहत अधिग्रहीत संपत्ति मानी जाएगी, और इस अधिनियम के सभी प्रावधान तदनुसार लागू होंगे।
- धारा 3. (1) जहां सक्षम प्राधिकारी की राय है कि संघ का उद्देश्य होने के नाते किसी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किसी संपत्ति की आवश्यकता है या आवश्यक होने की संभावना है, और संपत्ति की मांग की जानी चाहिए, सक्षम प्राधिकारी-
- (क) संपत्ति के मालिक या किसी अन्य व्यक्ति को, जिसके पास संपत्ति का कब्जा है, लिखित नोटिस देकर, अधिग्रहण के उद्देश्य को निर्दिष्ट करते हुए, ऐसे नोटिस की तामील की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर, कारण बताने के लिए बुलाएगा कि संपत्ति का अधिग्रहण क्यों नहीं किया जाए?;

X

X

धारा 6 (1) केंद्र सरकार किसी भी समय इस अधिनियम के तहत अधिग्रहित की गई किसी भी संपितत को अधिग्रहण से मुक्त कर सकती है और केवल उचित टूट-फूट और अप्रतिरोध्य बल के कारण होने वाले पिरवर्तन के अधीन, जहां तक संभव हो, संपित को उतनी ही अच्छी स्थिति में वापस करेगी, जितनी तब थी जब उसका कब्जा लिया गया था: बशर्त कि जहां जिस उद्देश्य के लिए किसी अधिग्रहीत संपित का उपयोग किया जा रहा था, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाए, तो केंद्र सरकार, जब तक कि संपित्त धारा 7 के तहत अर्जित नहीं की जाती है, उस संपित्त को, जितनी जल्दी हो सके, अधिग्रहण से मुक्त कर देगी।

भारत के रक्षा नियम, भारत रक्षा अध्यादेश, 1939 के तहत जारी किए गए थे, जिन्हें भारत रक्षा अधिनियम, 1939 द्वारा निरस्त कर दिया गया था, लेकिन उक्त अधिनियम की धारा 21 के प्रावधानों के आधार पर उक्त नियमों को यथावत रखा गया। उक्त नियमों के नियम 75-ए के तहत, किसी संपत्ति को अधिग्रहित करने की शक्ति उन उद्देश्यों से जुड़ी थी जिनके लिए इसकी मांग की जा सकती थी; हालाँकि यह तय करना सरकार की व्यक्तिपरक संतुष्टि पर छोड़ दिया गया था कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन था या नहीं। अधिग्रहण के बाद, केंद्र सरकार को

संपत्ति से ऐसे तरीके से निपटने के लिए अधिकृत किया गया था जो उसे समीचीन लगे। संदर्भ में समीचीनता का मतलब केवल उन उद्देश्यों के संबंध में समीचीनता हो सकता है जिनके लिए संपत्ति का अधिग्रहण किया गया था। उप-धारा (2) में "समीचीन" शब्द का व्यापक अर्थ आवश्यक रूप से उप-धारा (1) के तहत उद्देश्यों तक ही सीमित होना चाहिए, अन्यथा, हम मिथ्या दावे के आधार पर संपत्ति की मांग करने के लिए सरकार को शक्ति प्रदान करने के इरादे का श्रेय विधायिका को देंगे। 1947 का अधिनियम 17 भूमि के संबंध में कुछ आपातकालीन शक्तियों को जारी रखने के लिए अधिनियमित किया गया था, जो कि, जब भारत रक्षा अधिनियम समाप्त हो गया, उस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के तहत अधिग्रहण के अधीन था। "अधिग्रहीत भूमि" को एक अचल संपत्ति के रूप में परिभाषित किया गया था, जो उक्त अधिनियम के प्रारंभ में उक्त नियमों के तहत किए गए किसी भी अधिग्रहण के अधीन था। इसकी धारा 3 के तहत उक्त अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों की समाप्ति के बावजूद, अधिग्रहीत भूमि को उक्त अधिनियम की समाप्ति तक अधियाचना के लिए जारी रखा गया था, और इसने उपयुक्त सरकार को किसी भी अधिगृहीत भूमि का उपयोग "ऐसे ढंग से करने या उससे निपटने के लिए जो उसे समीचीन प्रतीत हो" अधिकृत किया था। अधिनियम का उद्देश्य केवल भारत रक्षा अधिनियम की अवधि समाप्त होने के बाद अधिग्रहण को जारी रखना था, न कि अधिग्रहीत भूमि के संबंध में सरकार की शक्तियों को विस्तृत करना। अध्यादेश के तहत अधिग्रहित की गई भूमि अधिग्रहण के अधीन बनी रही। अभिव्यक्ति "जारी रखें" का स्पष्ट रूप से अर्थ यह है कि धारा का दायरा केवल उस आदेश को बनाए रखना था जो अन्यथा समाप्त हो गया होता। शब्द "किसी भी अधिग्रहीत भूमि का इस तरह से उपयोग कर सकते हैं जो उसे समीचीन लगे" नियमावली के नियम 75-ए (2) में शब्दों की प्नरावृत्ति मात्र थी जो सरकार को अधिग्रहण के संबंध में कुछ कार्य करने का अधिकार प्रदान करती है; और 1947 अधिनियम की धारा 3 के तहत प्राधिकरण का दायरा नियमावली के नियम 75 ए(2) के तहत समान होना चाहिए। 1952 के अधिनियम की धारा 24(1) के तहत 1947 के अधिनियम को निरस्त कर दिया गया। इसकी उप-धारा (2) के तहत, यह प्रावधान किया गया था कि अधिनियम के प्रारंभ होने पर जो संपत्तियां पिछले अधिनियम के प्रावधानों के तहत अधिग्रहण के अधीन थीं, उन्हें अधिनियम की धारा 3 के तहत अधिग्रहित की गई संपत्ति माना जाएगा और अधिनियम के सभी प्रावधान तदन्सार लागू होंगे।

प्रकल्पित खंड पर भरोसा करते हुए, यह तर्क दिया गया है कि 1947 अधिनियम के तहत सरकार द्वारा भूमि का अधिग्रहण और उसके उपयोगकर्ता को संघ का उद्देश्य होने के नाते, सार्वजनिक उद्देश्य के लिए 1952 अधिनियम की धारा 3 के तहत किया गया अधिग्रहण माना जाना चाहिए और चूंकि वह उद्देश्य, अर्थात् त्रिवेणी कला संगम द्वारा इसका उपयोग, अभी अस्तित्व में था, अपीलकर्ता अधिनियम की धारा 6 के तहत कब्जा वापस करने के लिए बाध्य नहीं थे। लेकिन अधिनियम की धारा 24 (2) द्वारा निर्मित परिकल्पना केवल पहले से किए गए अधिग्रहण पर ही लागू होगी। यह परिकल्पना सरकार के किसी भी अवैध कार्य को प्रमाणित नहीं कर सकी। इसलिए, प्रश्न यह है कि नियमों के साथ-साथ 1947 अधिनियम के तहत पहले किए गए अधिग्रहण का क्या प्रभाव पड़ा। यदि प्रारम्भ में किया गया अधिग्रहण नियमावली के नियम 75 में उल्लिखित उद्देश्यों के लिए था और 1947 अधिनियम की धारा 3 के तहत केवल उक्त उद्देश्यों के लिए जारी रहा, तो 1952 अधिनियम की धारा 3 के तहत संघ का एक उद्देश्य होने के नाते, उक्त उद्देश्यों के लिए किया गया अधिग्रहण सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किया गया अधिग्रहण माना जाएगा। लेकिन अधिग्रहण की वैधता का आकलन पहले से मौजूद क़ानूनों के आधार पर किया जा सकता था ना कि 1952 अधिनियम की धाराओं के प्रावधानों के आधार पर। इसका परिणाम यह है कि नियमावली के नियम 75-ए के तहत सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए किए गए संपत्ति के अधिग्रहण को अधिनियम की धारा 3 के तहत अधिग्रहण माना जाएगा और अधिनियम के सभी प्रावधान तदन्सार लागू होंगे। ऐसे कहा जाता है कि नियमावली के तहत सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अधिग्रहण करना आवश्यक नहीं है; लेकिन नियमावली के नियम 75-ए के स्पष्ट प्रावधान इस तर्क को नकार

देते हैं। हालाँकि नियमावली के नियम 75-ए के तहत उद्देश्य बताने वाले किसी नोटिस पर विचार नहीं किया गया है, नियमावली के नियम 75-ए में उल्लिखित केवल चार सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए ही अधिग्रहण किया जा सकता था। हमने बताया है कि उक्त उद्देश्यों के लिए अधिग्रहण केवल 1947 अधिनियम के तहत जारी रहा। इसलिए, जिन उद्देश्यों के लिए अधिग्रहण किया गया था, उन्हें नियमावली के नियम 75-ए में उल्लिखित उद्देश्य माना जाना चाहिए। भले ही अधिनियम की धारा 5 को इस आधार पर अपवर्जित किया गया हो कि नियमावली के नियम 75-ए के तहत कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था, अधिनियम की धारा 6 के परंत्क लागू होंगे। उस परंत्क के तहत, जहां जिन उद्देश्यों के लिए किसी भी अपेक्षित संपत्ति का उपयोग किया जा रहा था, उनका अस्तित्व समाप्त हो गया है, तो केंद्र सरकार संपत्ति को, जितनी जल्दी हो सके, अधिग्रहण से म्कत कर देगी। वर्तमान मामले में, तथ्यों से यह स्पष्ट है कि फ्लैट का उपयोग उनमें से किसी भी उद्देश्य के लिए नहीं किया जा रहा था, जिसके लिए कई वर्षों तक इसका अधिग्रहण किया गया था; और वास्तव में, जब अधिनियम लागू ह्आ, तो इसका उपयोग केवल त्रिवेणी कला संगम स्थापित करने के लिए किया गया था, जो स्पष्ट रूप से उन उद्देश्यों में से एक नहीं है जिसके लिए फ्लैट का अधिग्रहण किया गया था। यदि ऐसा है, तो यह माना जाना चाहिए कि जिस उद्देश्य के लिए संपत्ति का अधिग्रहण किया

गया था, वह अब अस्तित्व में नहीं है और प्रतिवादियों ने उक्त परंतुक के तहत उस पर कब्जा करने का अधिकार हासिल कर लिया है।

फिर भी, विद्वान अटॉर्नी जनरल का तर्क है कि जिस उद्देश्य के लिए इमारत का उपयोग अब किया जाता है, अर्थात् त्रिवेणी कला संगम के लिए, वह अधिनियम की धारा 3 के अर्थ के तहत, संघ का उद्देश्य होने के नाते एक सार्वजनिक उद्देश्य है, और इसलिए, प्रतिवादीगण अधिनियम की धारा 6 के प्रावधान के तहत उस पर कब्जा पाने के हकदार नहीं हैं।

यह तर्क दिया जाता है कि प्रत्येक संघ उद्देश्य एक सार्वजनिक उद्देश्य है। आगे यह तर्क दिया जाता है कि संविधान के तहत संसद संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची । में सूचीबद्ध किसी भी मामले के संबंध में कानून बना सकती है, साथ ही उसकी सूची ॥ में सूचीबद्ध किसी भी मामले के संबंध में भी कानून बना सकती है, अनुच्छेद 73 के तहत संघ की कार्यकारी शक्ति उक्त मामलों तक फैली हुई है और इसलिए, ऐसे मामलों से जुड़े किसी भी उद्देश्य के लिए संपत्ति की मांग की जाती है, चाहे उसके संबंध में कानून बनाए गए हों या नहीं, 1952 अधिनियम की धारा (1) के अर्थ के अंतर्गत, संघ का एक उद्देश्य होने के नाते, एक सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अधिग्रहण माना जाएगा। इस तर्क के समर्थन में बॉम्बे राज्य बनाम अली गुलशन (1955 2 एस.सी.आर. 867) मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया गया है। इस तर्क के पीछे एक तर्कदोष है।

परिकल्पना का प्रभाव यह है कि नियमावली के नियम 75-ए के तहत किया गया अधिग्रहण 1952 अधिनियम की धारा 3 के तहत किया गया अधिग्रहण है, अर्थात, यदि नियमावली के नियम 75-ए में उल्लिखित उद्देश्यों के लिए अधिग्रहण किया गया था, तो यह अधिग्रहण 1952 अधिनियम की धारा 3 के अर्थ के अंतर्गत, संघ का उद्देश्य होने के नाते, सार्वजनिक उद्देश्य के लिए माना जाएगा। इसलिए, मानदंड यह नहीं है कि वह विशेष उद्देश्य, जिसके लिए अधिनियम लागू होने के समय एक इमारत का उपयोग किया गया था, 1952 अधिनियम की धारा 3 के अर्थ के तहत संघ का उद्देश्य होने के नाते एक सार्वजनिक उद्देश्य था या नहीं, बल्कि, क्या यह नियमावली के नियम 74-ए में उल्लिखित उद्देश्यों में से किसी एक के लिए अधिग्रहित किया गया है। यदि वे उद्देश्य अस्तित्व में नहीं है, तो 1952 अधिनियम की धारा 6 के प्रावधान ने सरकार के लिए यह अनिवार्य बना दिया कि वह उक्त संपत्ति का अधिग्रहण मोचन करें। चूंकि फ्लैट का उपयोग उस उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया जा रहा था, जिसके लिए इसका अधिग्रहण किया गया था, इसलिए प्रतिवादीगण उस पर कब्जा पाने के हकदार थे। इस दृष्टि से, हम इस न्यायालय के निर्णय के आधार पर विद्वान अटॉर्नी-जनरल द्वारा उठाए गए विवाद की वैधता पर अपनी राय व्यक्त करने का प्रस्ताव नहीं करते हैं।

परिणामस्वरूप अपील विफल हो जाती है और खारिज कर दी जाती है। लागत आदेश दिनांकित 11-8-61 द्वारा शासित की जाएगी।

अपील खारिज की जाती है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' के जरिए अनुवादक खुशबू सोनी द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय वादी के प्रतिबंधित उपयोग के लिए उसकी भाषा में समझाने के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।